



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 21 जनवरी 2025

"ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या करने के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 5,000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त अमित पुत्र राजू सिंह निवासी गरिमा गार्डन शिवचोक शालिमार गार्डन थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद द्वारा वर्ष-2017 में दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी की हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 10.07.2017 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं- 625/17 धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 10.10.2017 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विकशन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें 09 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 21.01.2025 को न्यायाधीश श्री हरिकेश कुमार (मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अमित को 10 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री केशव देव शर्मा व श्री कुश कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर।